



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27052025-263388
CG-DL-E-27052025-263388

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2255]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 23, 2025/ज्येष्ठ 02, 1947

No. 2255]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 23, 2025/JYAISTHA 02, 1947

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मई, 2025

का.आ. 2309(अ).—भारत सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 कि उपधारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 629(अ) तारीख 03.02.2025 जो भारत के असाधारण राजपत्र संख्या 625 तारीख 06.02.2025 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में मैसर्स डीएनपी लिमिटेड द्वारा असम राज्य में दुलियाजन – तुमलीगड़ नेचुरल गैस पाइपलाइन के मध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्रित अधिसूचना की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और चूंकि सक्षम प्राधिकारी द्वारा पाइपलाइन बिछाने के संबंध में जनता से विचार एवं निपटान हेतु कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप - धारा (1) के अधीन भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और भारत सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह संतुष्ट हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 कि उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है;

और भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 कि उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, यह निर्देश देती है कि पाइपलाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग के अधिकार, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख को, भारत सरकार में निहित होने के बजाय, पाइपलाइन बिछाने का प्रस्ताव करने वाली मैसर्स डीएनपी लिमिटेड में निहित होगा और तदुपरि, भूमि में ऐसे उपयोग का अधिकार, इस प्रकार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुये, सभी विलंगमों से मुक्त, मैसर्स डीएनपी लिमिटेड में निहित होगा।

अनुसूची

जिला: डिब्रुगढ़				राज्य : असम			
सर्कल	मौजा	गांव	पट्टा नं.	दाग नं.	क्षेत्रफल		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	बीघा	कट्टा	लुसा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
टेंगाखाट	टिपलींग	नलनी पथार	सरकार	81	0	0	1
			सरकार	173	0	4	1
			मियादी पट्टा नं. 40	77	0	1	15
			मियादी पट्टा नं. 41	64	0	0	18
			मियादी पट्टा नं. 18	70	0	3	19
			सरकार	69	0	0	1
			मियादी पट्टा नं. 18	68	0	2	10
			मियादी पट्टा नं. 50	67	0	0	1
			सरकार	146	0	0	10
			सरकार	165	1	4	4
			कुल :		4	3	0
नाहरकटीया	जयपुर	दिहिंग किनार बाहूँधारी	सरकार	195	0	0	8
			सरकार	194	0	0	6
			सरकार	217	0	0	11
			सरकार	67	0	0	17
			एकसना पट्टा नं. 19	66	0	0	14
			एकसना पट्टा नं. 9	71	0	0	1
			एकसना पट्टा नं. 19	72	0	0	1
			सरकार	73	0	2	4
			सरकार	76	0	1	6

			सरकार	106	0	2	18
			एकसना पट्टा नं. 19	107	0	2	8
			सरकार	108	0	0	1
			सरकार	109	0	0	2
			सरकार	104	0	0	1
			सरकार	102	0	2	5
			मियादी पट्टा नं. 18	101	0	2	3
			कुल :		3	1	6

[फ. सं: एल-14014/1/2025-जीपी-II (ई-51840)]

रामजीलाल मीना, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th May, 2025

S.O. 2309(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O.No. **629(E)** dated **03.02.2025**, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra Ordinary Gazette of India No. **625** dated **06.02.2025**, the Government of India declared its intention to acquire the Right of User in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of Natural Gas through Duliajan – Numaligarh Natural Gas pipeline in the state of Assam by M/s DNP Limited (DNPL).

And whereas copies of the said Extraordinary Gazette notification were made available to the public.

And whereas no objections have received from the public to the laying of the pipeline by the Competent Authority for consider and disposed.

And whereas the Competent Authority has, under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted its report to the Government of India.

And whereas the Government of India after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act, the Government of India hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Government of India hereby directs that the Right of User in the land for laying the pipeline shall, instead of vesting in Government of India, vest, on this date of the publication of the declaration, in the DNP Limited (DNPL), free from all encumbrances.

SCHEDULE

District : Dibrugarh				State: Assam			
Circle	Mouza	Name of Village	Patta No	Dag No.	Area		
					Bigha	Katha	Lessa
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
Tengakhat	Tipling	Nalani Pathar Gaon	Waste land	81	0	0	1
			Waste land	173	0	4	1
			P.P. No. 40	77	0	1	15
			P.P. No. 41	64	0	0	18
			P.P. No. 18	70	0	3	19

			Waste land	69	0	0	1
			P.P. No. 18	68	0	2	10
			P.P. No. 50	67	0	0	1
			Waste land	146	0	0	10
			Waste land	165	1	4	4
			Total :		4	3	0
Naharkatia	Jaypur	Dihing Kiner Bandhari	Waste land	195	0	0	8
			Waste land	194	0	0	6
			Waste land	217	0	0	11
			Waste land	67	0	0	17
			Annual	66	0	0	14
			Annual	71	0	0	1
			Annual	72	0	0	1
			Waste land	73	0	2	4
			Waste land	76	0	1	6
			Waste land	106	0	2	18
			Annual	107	0	2	8
			Waste land	108	0	0	1
			Waste land	109	0	0	2
			Waste land	104	0	0	1
			Waste land	102	0	2	5
			P.P. No. 18	101	0	2	3
			Total:		3	1	6

[F. No. L-14014/1/2025-GP-II (E-51840)]

RAMJI LAL MEENA, Under Secy.